

प्रेषक,

एल0 वेंकटेश्वरलू
सचिव एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
मुजफ्फरनगर।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ : दिनांक : 12 फरवरी, 2013

विषय: वर्ष 2011-12/2012-13 में आपदा राहत निधि/राज्य आपदा मोचक निधि से सार्वजनिक परिसम्पत्तियों के पुनर्निर्माण/पुनर्स्थापना मद में आवंटित धनराशि के अनुक्रम में अवशेष धनराशि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-810/तेरह-मिस/06-09/बाढ़-धनावंटन, दिनांक 16.01.2013 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष 2011-12 में बाढ़ से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों के पुनर्निर्माण/पुनर्स्थापना हेतु, आपके पत्र संख्या-750/तेरह-मिस/06-09/बाढ़-धनावंटन, दिनांक 29.12.2011 के संदर्भ में सिंचाई निर्माण खण्ड ऊपरी गंगा नहर मेरठ के 08 कार्यों जिनकी लागत रू0 91,97,000/- आंकलित की गयी थी, सहित अन्य विभागों/संस्थाओं सहित मांगी गयी धनराशि रू0 4,24,72,000/- के सापेक्ष 50 प्रतिशत धनराशि के रूप में रू0 2,12,36,000/- की धनराशि शासनादेश संख्या-1256/1-10-12-33 (62)/2012, दिनांक 14 मई, 2012 के द्वारा निर्गत/स्वीकृत की गयी थी। उक्त के अतिरिक्त शासनादेश संख्या-2688/1-10-12-33(62)/2012टी0सी0-5, दिनांक 31 अक्टूबर, 2012 द्वारा मुजफ्फरनगर खण्ड, गंगा नहर के कार्यों के लिए अवशेष रू0 12,00,000/- व अनूपशहर शाखा, गंगा नहर, मेरठ के कार्यों के लिए अवशेष रू0 96,77,500/- की भी धनराशि स्वीकृत/निर्गत की गयी है। अब प्रकरण में आपके उपरिसन्दर्भित पत्र दिनांक 16.01.2013 के द्वारा सिंचाई निर्माण खण्ड-मेरठ/सिंचाई निर्माण खण्ड ऊपरी गंगा नहर-मेरठ के 04 स्वीकृत अवशेष कार्यों को पूर्ण कराये जाने हेतु रू0 45,11,000/- की मांग की गयी है। अतः निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012-13 में अवशेष धनराशि कुल रू0 45,11,000/- (रूपये पैंतालिस लाख ग्यारह हजार मात्र) आपके निर्वर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-आयोजनेत्तर-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड-800-अन्य व्यय-03-स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

3. बाढ़ से तात्कालिक प्रकृति की अपरिहार्य परिस्थितियों वाले अर्ह एवं अनुमन्य श्रेणी की क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की आगामी वर्षा के पूर्व पुनर्निर्माण/पुनर्स्थापना/मरम्मत मद में धनराशि निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन ही व्यय की जायेगी। इस धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका एवं अन्य सुसंगत नियमों/शासकीय निर्देशों के अधीन ही किया जायेगा। इस धनराशि का उपयोग अन्य किसी भी परियोजना हेतु कदापि न किया जाय।
4. उक्त धनराशि का व्यय शा0प0सं0-78/पी0एस0आर0/2012, दिनांक 24.01.2012 के साथ संलग्न पत्र संख्या-32-7/2011-NDM-1, दिनांक 16.01.2012 में भारत सरकार की गाइड लाइंस में निर्धारित एवं अर्ह मानक मदों एवं शासनादेश सं0 2785/1-10-2011-12(73)/2008, दिनांक 14.10.2011, शासनादेश सं0 1349/1-10-2012-12(73)/2008, दिनांक 17.05.2012 के अनुसार किया जायेगा।
5. बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचा/अधिसंरचना के तात्कालिक प्रकृति के मरम्मत/पुनर्निर्माण की उक्त परियोजनाओं को तात्कालिक रूप में ससमय पूर्ण कर लिया जाय। राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा। तात्कालिक प्रकृति के अपरिहार्य परिस्थितियों वाले मरम्मत/रेस्टोरेशन कार्यों की परियोजनाओं को खण्डों में कदापि विभाजित नहीं किया जायेगा, अपितु निरन्तरता वाले विभिन्न परियोजनाओं को एक ही परियोजना माना जायेगा। सन्दर्भित कार्यों के लिए लगने वाली वास्तविक धनराशि का ही धनावंटन किया जायेगा।
6. उपरोक्त परियोजनाओं के कार्य मानक एवं गुणवत्तापूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करने के लिए कार्य की समय-समय पर वीडियोग्राफी/फोटोग्राफी भी करायी जाय तथा उनकी प्रति सीडी शासन को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जाय।
7. कतिपय प्रकरणों में यह भी देखने में आया है कि आवंटित धनराशि एक मुश्त किसी सरकारी विभाग या स्थानीय प्राधिकारी को हस्तगत कराकर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली जाती है। यह स्थिति उचित नहीं है। निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना, तदनुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित कराना, व्यय का पूर्ण विवरण शासन को निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना तथा वित्तीय नियमों के अन्तर्गत धनराशि निर्गत करना जिलाधिकारी का कर्तव्य है। अतः राज्य आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित उपयोग सुनिश्चित किया जाय।
8. आपदा राहत निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा

मदवार मासिक व्यय विवरण शासनादेश संख्या-1693/1-11-2005-रा0-11, दिनांक 20 जून, 2005 द्वारा प्रसारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत वेबसाइट <http://rahat.up.nic.in> पर भी फीड करवाना सुनिश्चित किया जाय। शासन द्वारा आवंटित धनराशि में से यदि बचते संभावित हों तो उन्हें अविलम्ब/31 मार्च, 2013 से पूर्व शासन को समर्पित कर दिया जाय।

9. उक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को अविलम्ब उपलब्ध कराया जाय।

10. व्यय की धनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाय और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

भवदीय,
(एल. वेंकटेश्वर लू) / 2
सचिव एवं राहत आयुक्त।
2

संख्या : 466(1)/1-10-2013-33(62)/2012 टी0सी0-5, तददिनांक

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
- 1- महालेखाकार-प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद
 - 2- आयुक्त, सहारनपुर मंडल, सहारनपुर/प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग, उ0प्र0 शासन/प्रमुख अभियंता, सिंचाई विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
 - 3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
 - 4- वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ को राहत की वेबसाइट <http://rahat.up.nic.in> पर अपलोड किये जाने हेतु।
 - ✓ 5- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त, उ0प्र0।
 - 6- मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, मुजफ्फरनगर।
 - 7- वित्त व्यय नियंत्रण, अनुभाग-5।
 - 8- समीक्षा अधिकारी (लेखा)/समीक्षा अधिकारी, राजस्व अनुभाग-10 राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ/ राजस्व अनुभाग-6/11,
 - 9- निजी सचिव, प्रमुख सचिव राजस्व विभाग।
 - 10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से
(विनोद कुमार शर्मा)
अनु सचिव।
m